मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रं./2024 /1291/2021/सत्रह/मेडि–2 भोपाल दिनांक 6.05.2021

प्रति

1. कलेक्टर, (समस्त)
   मध्यप्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय :– **निःशुल्क कोविड उपचार हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना ।**

प्रदेश सरकार राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य शासन ने इस हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तीन मुख्य घटक है –

प्रथम घटक –प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल, समस्त जिला चिकित्सालय, समस्त सिविल अस्पताल एवं कोविड उपचार करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु शासकीय अस्पतालों में 395 आई.सी.यू./एच.डी.यू. बेड, 13334 आक्सीजनयुक्त बेड एवं 20601 आईसोलेशन बेड उपलब्ध कराये गये है तथा निरंतर इसमें वृद्धि करने के प्रयास चल रहे है ।

द्वितीय घटक – प्रदेश के कुछ जिलों में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों में आवश्यक संख्या में आईसोलेशन एवं आई.सी.यू./एच.डी.यू. बेड अनुबंधित किये गये है। वर्तमान में 3675 विभिन्न श्रेणी के बेडस इस हेतु उपलब्ध है। समस्त अनुबंधित बेड पर भर्ती होने वाले प्रदेश के कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

तृतीय घटक – प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के निःशुल्क उपचार हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाये गये है। इस कार्ड के माध्यम से यह कार्डधारी आयुष्मान संबंद्ध अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते है। राज्य शासन ने संबंद्ध अस्पतालों में 20 प्रतिशत बेडस आयुष्मान हितग्राहियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश भी दिये हैं, परन्तु कोविड संक्रमण के

प्रथम एवं द्वितीय चरण के अनुभव से यह तथ्य सामने आया है कि संबंद्व आयुष्मान अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आरक्षित बेड का उपयोग अत्यन्त कम हो पाया है। विवेचना में यह निष्कर्ष निकला है कि वर्तमान आयुष्मान पैकेज में कोविड–19 का इलाज साध्य नहीं है और साथ ही इन बिस्तरों की उपलब्धता का पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाया है।

इस कारण आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैः–

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत के आदेश कमांक सीईओ/एबी/एडमिन/2021/899 दिनांक 06.05.2021 द्वारा आयुष्मान पैकेज की दरों में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार हेतु प्राईवेट अस्पताल की दरों के समकक्ष लाया गया है। इसमें विशेष जॉचों जैसे–सीटी स्केन, एम.आर..आई. आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5000/– प्रति परिवार प्रति वर्ष थी इसे संशोधित कर वर्ष 2021–22 में कोविड–19 के उपचार हेतु भर्ती कार्डधारियों के लिए राशि रूपये 5000/– प्रति कार्डधारी कर दिया गया है।

(ख) वर्तमान में प्रदेश के कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या 579 के विरूद्ध मेडिसीन विशेषज्ञता वाले 268 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के अर्न्तगत इन्पैनल्ड है। अतः जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर कोविड–19 के इलाज के लिए सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना में तीन माह के लिए अस्थायी संबंद्वता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

3/ उपरोक्त निर्णय लेने की मंशा यह है कि आयुष्मान कार्डधारी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार कराया जा सके। यह कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है । अतः यह सुनिश्चित करें कि जिले के समस्त ऐसे निजी अस्पताल जो मेडिसीन विशेषज्ञता रखते हुए कोविड उपचार कर रहे है, तथा सार्थक पोर्टल पर पंजीबद्व है उनकी आयुष्मान योजना के अन्तर्गत तीन माह के लिए अस्थायी संबंद्वता शीघ्र दी जावे ताकि उन सभी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नवीन पैकेज के अन्तर्गत आयुष्मान कार्डधारियों का निःशुल्क कोविड उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसका ध्यान रखा जाए कि बहुत छोटे अस्पतालों को यह संबंद्वता न दी जाये ।

4/ राज्य शासन प्रतिबद्व है कि आयुष्मान भारत अंतर्गत पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जाये और इसे एक अभियान के रूप में लिया जाये। कोविड–19 के निशुल्क उपचार हेतु विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें कि आयुष्मान पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पृथक कार्ड मिल सकें और उनका निःशुल्क कोविड उपचार किया जा सके। कोई भी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नही है और उसे कोविड होने के कारण,

कोविड के उपचार की आवश्यकता है, तो भी इनका निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाना है। यदि आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का कोई सदस्य, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वह कोविड पॉजीटिव होकर उपचार हेतु अस्पताल में पहुँचता है, तो वह निम्नानुसार तीन प्रकार से अस्पताल में प्रवेश पा सकता हैः–

(1) परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान्न की पर्ची जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वह आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का सदस्य है।

(2) आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं उसके साथ समग्र आई. डी का प्रस्तुतीकरण जिसके माध्यम से यह पता चलता हो कि वह आयुष्मान कार्डधारक परिवार का सदस्य है।

(3) परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं साथ में किसी भी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का इस बावत प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्डधारक के परिवार का सदस्य है। शासकीय अधिकारी इस हेतु समग्र पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर सकते है कि वह आयुष्मान कार्डधारी के समग्र आई.डी. परिवार का सदस्य है।

उपरोंक्त प्रकारों से कोविड उपचार के लिये भर्ती होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर मरीज के परिवारजन को मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा । उसे यह कार्ड बनाने के लिए एक सुगमता पूर्वक व्यवस्था जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करेंगें और इस हेतु शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

5/ आयुष्मान संबंद्व कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन एवं उपचार बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक हो सके यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस हेतु जिले में अपर कलेक्टर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे तथा कोविड उपचार हेतु अधिकृत प्रत्येक आयुष्मान संबंद्व अस्पताल हेतु शासकीय अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जावे। आयुष्मान योजना के कार्डधारियों के कोविड उपचार के लिए चिन्हित आयुष्मान अस्पतालों में सुगमता पूर्वक प्रवेंश एवं उपचार हेतु यह नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी निरंतर कार्य करेंगें तथा फोन पर उपलब्ध रहेंगें। कोई भी आयुष्मान कार्डधारी प्रवेश में सहायता हेतु अथवा किसी प्रकार की दिक्कत आने पर नोडल/प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है । इस हेतु डी.सी.सी.सी0. के दूरभाष अथवा जिले के अन्य कंट्रोल रूम का नम्बर व्यापक रूप से प्रसारित किया जाये।

6/ आयुष्मान कार्डधारियों की कोविड उपचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने उस पर कार्यवाही करते हुए जॉच हेतु एक विशेष सेल बनायी जावे ताकि किसी भी दशा में कोई भी आयुष्मान कार्डधारी सुगमता पूर्वक प्रवेश व कोविड उपचार से वंचित न रहे ।

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तीन घटकों के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है । अतः यह सुनिश्चित करें कि इस योजना का कियान्वयन अत्यंत संवेदनशीलता के साथ किया जाये ताकि राज्य शासन का यह महत्वपूर्ण प्रकल्प फलीभुत हो सकें।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(आकाश त्रिपाठी)
सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रं. /2025/1291/ 2021 / सत्रह / मेडि–2 भोपाल दिनांक6.05.2021

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय आयुक्त, (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. क्षेत्रीय संचालक, (समस्त) स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग